1.	विभाग	**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)**
2.	योजना का नाम–	परिवार कल्याण कार्यक्रम (मिशन परिवार विकास के अन्तर्गत आच्छादित जनपद मेरठ, बागपत, बुलंदशहर)
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रजनन दर 3.0 से अधिक वाले प्रदेश के कुल 57 जनपदो मण्डल के 03 जनपदों क्रमशः बागपत, मेरठ, बुलंदशहर मे मिशन परिवार विकास के अन्तर्गत निम्न प्रकार से लाभार्थियों को पीएफएमएस पोंटल के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती है– (क) किसी भी विवाहित महिला को स्थायी परिवार नियोजन का साधन (नसबंदी) के उपरांत 2000 रूपये की धनराशि। (ख) किसी भी विवाहित महिला को प्रसव पश्चात स्थायी परिवार नियोजन का साधन (नसबंदी) के उपरांत 3000 रूपये की धनराशि। (ग) किसी भी विवाहित पुरूष को स्थायी परिवार नियोजन का साधन (नसबंदी) के उपरांत 3000 रूपये की धनराशि। (घ) किसी भी विवाहित महिला को बच्चों मे अन्तराल रखने हेतु अस्थायी परिवार नियोजन का साधन पीपीआईयूसीडी (प्रसव पश्चात 48 घंटे के अन्दर आईयूसीडी निवेशन) के उपरांत फॉलोअप हेतु चिकित्सालय आने पर 150 रूपये प्रति फॉलोअप अधिकतम 300 रूपये की धनराशि। (च) किसी भी विवाहित महिला को बच्चों मे अन्तराल रखने हेतु अस्थायी परिवार नियोजन का साधन डिम्पा (अंतरा) त्रमासिक इंजैक्शन लगवाने के उपरांत प्रति डोज 150 रूपये की धनराशि।
4.	पात्रता की अर्हता	समस्त महिलाएं एवं पुरूष जिनके द्वारा उपरोक्त कोई भी विधि का प्रयोग सरकारी स्वास्थ्य इकाई के माध्यम से किया हो
5.	आवेदन की प्रक्रिया	आवेदन स्वतः ही चिकित्सा इकाई द्वारा सेवा उपरांत करा लिया जायेगा
6.	लिंक वेबसाईट	http://upnrhm.gov.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा अपर निदेशक, चिकित्सा, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।